

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 781 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र स्व रामुराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गोपीराम पुत्र मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र डूगरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. भादरराम पुत्र पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. रुकमा पत्नी पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. कृष्णा पत्नी स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
7. शर्मिला पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
8. राधा पुत्री स्व पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
9. बिन्दो पुत्री स्व पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
10. विधा पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
12. बिदामी पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
13. बख्तावरी पत्नी मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
14. राजेराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
15. सोहन पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
16. पूर्णाराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
17. रोहताश पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
18. मंगतुराम पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
19. गुडडी पत्नी स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
20. कृष्णा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
21. धापा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
22. लिछमा पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
23. रामप्यारी पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
24. जगदीश पुत्र स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
25. महावीर पुत्र स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
26. सुखराम पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
27. विकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
28. जैता पत्नी मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
29. सुमन पुत्री मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
30. सावित्री पत्नी स्व रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
31. धोलुराम पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
32. विनोद कुमार पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
33. मंजु पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
34. दीपिका पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.8100हैक् भूमि में 1/4 हिस्सा धन्नाराम पुत्र लुणाराम, पोकर पुत्र लुनाराम, 1/4 हिस्सा एवं मंगलाराम पुत्र लुनाराम 1/4 हनुमान पुत्र डूगरराम 1/4 हिस्सा, व रोही मौजा खमालिया के खाता संख्या 88/82 की कुल 7.2340हैक् मंगलाराम पुत्र लुनाराम व खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340हैक् धन्नाराम पुत्र लुनाराम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

लूनाराम के तीन लडके धन्नाराम, पोकर, मंगलाराम फोट हो चुके है एवं धन्नाराम के दो लडके रामलाल, मांगलाल भी फोट हो चुके है एवं धन्नाराम एवं उनके दो लडकों के वारिसान प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

संख्या 25 ता 35 है एवं पोकर के वारिसान वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 तथा मृतक मंगलाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ता 24 तथा डुगर की पत्नी गंगा देवी फोट हो चुकी है एव उसके एक मात्र वारिस हनुमान प्रतिवादी संख्या 1 है

इसप्रकार वादीगण के पूर्वज धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के फोट होने पर जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 है जो धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 वादीगण के बहने एवं मृतक धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक धन्ना, पोकर, डुगर, मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने निवेदन किया की वादीगण के पूर्वज धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के फोट होने पर जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 है जो धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 वादीगण के बहने/बुआ/माता एवं मृतक धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता-3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेशोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.8100हैक् भूमि में 1/4 हिस्सा धन्नाराम पुत्र लुणाराम , पोकर पुत्र लुनाराम, 1/4 हिस्सा एवं मंगलाराम पुत्र लुनाराम 1/4 हनुमान पुत्र डुगरराम 1/4 हिस्सा, व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 88/82 की कुल 7.2340हैक् मंगलाराम पुत्र लुनाराम व खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340हैक् धन्नाराम पुत्र लुनाराम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन हे कि लूनाराम के तीन लडके धन्नाराम , पोकर, मंगलाराम फोट हो चुके है एवं धन्नाराम के दो लडके रामलाल, मांगलाल भी फोट हो चुके है एवं धन्नाराम एवं उनके दो लडकों के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 35 है एवं पोकर के वारिसान वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

ता 12 तथा मृतक मंगलाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ता 24 तथा डुगर की पत्नी गंगा देवी फोट हो चुकी है एव उसके एक मात्र वारिस हनुमान प्रतिवादी संख्या 1 है

इसप्रकार वादीगण के पूर्वज धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के फोट होने पर जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 है जो धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 वादीगण के बहने एवं मृतक धन्नाराम , पोकरराम,, डुगर , मंगलाराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 12 ,13 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ता 34 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24,8100हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1.8597हैक वादी संख्या 2 अकेला 0.7843हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5819हैक प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 3.7157हैक एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 ,15 ,16 प्रत्येक 0.7844हैक भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 ,18 प्रत्येक का 0.3922हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.8579हैक एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 प्रत्येक का 0.9805हैक प्रतिवादी संख्या 31 अकेला 0.4902हैक एवं प्रतिवादी संख्या 32 अकेला 0.4930हैक भूमि का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 88/82 की कुल 7.2340हैक में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 ,18 प्रत्येक 1/10 हिस्सा, के एवं रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 के खसरा न0 197/1 की 7.2340हैक में प्रतिवादी संख्या 24 ,25 प्रत्येक 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 ,27 ,31 ,32 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
मोहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... टीडियासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र स्व रामुराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गोपीराम पुत्र मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 हनुमान पुत्र डूगरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 2 प्रभुराम पुत्र पोककरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 3 भादरराम पुत्र पोककरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 4 रूकमा पत्नी पोककरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 5 सुरेन्द्र पुत्र स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 6 कृष्णा पत्नी स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 7 शर्मिला पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 8 राधा पुत्री स्व पोककरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 9 बिन्दो पुत्री स्व पोककरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 10 विधा पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 11 सन्तोष पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 12 बिदामी पुत्री तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 13 बख्तावरी पत्नी मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 14 राजेराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 15 सोहन पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 16 पूर्णाराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 17 रोहताश पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 18 मंगतुराम पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 19 गुडडी पत्नी स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 20 कृष्णा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 21 धापा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 22 लिछमा पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 23 रामप्यारी पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 24 जगदीश पुत्र स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 25 महावीर पुत्र स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 26 सुखराम पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 27 विकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 28 जैता पत्नी मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 29 सुमन पुत्री मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 30 सावित्री पत्नी स्व रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 31 धोलुराम पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 32 विनोद कुमार पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 33 मंजु पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 34 दीपिका पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 35 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 781 सन 2021 निर्णय दिनांक- 01.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.8100हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1.8597हैक् वादी संख्या 2 अकेला 0.7843हैक् प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5819हैक् प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 3.7157हैक् एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 ,15 ,16 प्रत्येक 0.7844हैक् भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 ,18 प्रत्येक का 0.3922हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.8579हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 प्रत्येक का 0.9805हैक् प्रतिवादी संख्या 31 अकेला 0.4902हैक् एवं प्रतिवादी संख्या 32 अकेला 0.4930हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 88/82 की कुल 7.2340हैक् में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 ,18 प्रत्येक 1/10 हिस्सा, के एवं रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 के खसरा न0 197/1 की 7.2340हैक् में प्रतिवादी संख्या 24 ,25 प्रत्येक 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 ,27 ,31 ,32 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

सपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

प्रशासन गांव के सपखण्ड अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट...टीडियासर

सत्यमेव जयते